



## छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2512580, 81

Web:- <http://samvad.cg.nic.in>, email : [cgsamvad@gmail.com](mailto:cgsamvad@gmail.com)

### निविदा संशोधन सूचना

क्रमांक —1838 / छ.ग.सं / प्रका. / 2024

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक : 04 / 10 / 2024

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा यूनीपोल के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्म का इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित निविदा सूचना क्र. 863 दिनांक 01.08.2024 के नियम शर्तें में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

| क्र. | संशोधन पूर्व नियम शर्तें एवं कार्य  | संशोधन पश्चात् नियम शर्तें एवं कार्य  |
|------|---|---|
| 1    | <p>निविदा के बिन्दु क्र .21 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें :- निविदाकार फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व के रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र एवं नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम कुल 05 नग यूनीपोल/जिला मुख्यालय क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम 05 नग यूनीपोल/विकासखण्ड, ग्राम पंचायत , नगर पंचायत क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम कुल 05 नग यूनीपोल स्थापित होना अनिवार्य है। रायपुर नगर पालिक निगम एवं नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र एवं सभी जिला मुख्यालय के रेलवे या एयरपोर्ट आदि विशेष परिसर में स्थापित एकल स्वामित्व यूनीपोल वाले एजेंसियों के लिए उक्त न्यूनतम संख्या बाध्य नहीं है। एकल स्वामित्व वाले फर्म को एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। यदि फर्म का यूनीपोल केवल रेलवे या एयरपोर्ट परिसर में है तो फर्म केवल संबंधित एकल स्वामित्व वाले स्थान के लिए ही इम्पैनल्ड होंगे अन्य स्थान के लिए फर्म का इम्पैनलमेंट नहीं होगा।</p> | <p>निविदाकार फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व के रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र एवं नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम कुल 05 नग यूनीपोल/जिला मुख्यालय क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम 05 नग यूनीपोल/विकासखण्ड , ग्राम पंचायत , नगर पंचायत क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम कुल 05 नग यूनीपोल स्थापित होना अनिवार्य है। रायपुर नगर पालिक निगम एवं नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र एवं सभी जिला मुख्यालय के रेलवे या एयरपोर्ट आदि विशेष परिसर में स्थापित एकल स्वामित्व यूनीपोल वाले एजेंसियों के लिए उक्त न्यूनतम संख्या बाध्य नहीं है। एकल स्वामित्व वाले फर्म को एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। यदि फर्म का यूनीपोल केवल रेलवे या एयरपोर्ट परिसर में है तो फर्म केवल संबंधित एकल स्वामित्व वाले स्थान के लिए ही इम्पैनल्ड होंगे अन्य स्थान के लिए फर्म का इम्पैनलमेंट नहीं होगा।</p> |

शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ संवाद  
रायपुर(छ.ग.)